AMAR UJALA, Banda, 7.9.2023
Page No. 3, Size:(2.58)cms X (4.27)cms.

आयोग ने दिए जांच के आदेश

बांदा। संगठनों की ओर से नूह हिंसा के बाद बांदा शहर में आपत्तिजनक बयान और प्रदर्शन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) जिलाध्यक्ष वाजिद अली की शिकायत पर आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं। वाजिद अली ने शिकायत में कहा था कि बीती दो अगस्त को मुस्लिमों को खुले आम धमकी दी गई थी। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। (संवाद)

No more water can be released to Tamil Nadu, says Agri Minister of Karnataka,

https://firstindia.co.in/news/india/no-more-water-can-be-released-to-tamil-nadu-says-agri-minister-of-karnataka

Mandya: Speaking on the continuing row over Cauvery Water sharing, the Agriculture Minister of Karnataka, N. Chaluvarayaswamy said that no more water can be released to Tamil Nadu till Supreme Court's verdict on September 21 as they (Karnataka) are already having problems with drinking water and there was already no water for the crops.
"No more water can be released as there is no water in the dam...We have problems with drinking water at present and there was no water for crops earlier as well...Drinking water will also be affected in the coming days," said Chaluvarayaswamy.

"We will report the situation to the authorities and I will talk to the CM, Deputy CM, and Irrigation Minister today," added Chaluvarayaswamy.
He further expressed hope that the state would get a favourable verdict from the Supreme Court and said that water cannot be released till the verdict is given.
"It seems that the Supreme Court verdict will be good but since it is postponed now, water cannot be given till then," said the agriculture minister.
He added that further decision will be taken after discussion with everyone.

The state government has come in for fire from the opposition BJP. Former chief minister Basavraj Bommai said that the state had shown no ability in Cauvery Water Management.
"The Mekedatu project has been in demand for centuries. During our period, Congress people campaigned and campaigned, but when I was told that this case was in the court, I did not believe it. Now Siddaramaiah is saying that the case is in court. The truth came out of his mouth. Now there is a high demand for irrigation in both the states. Demand for water has increased for both the states" said Bommai.

Meanwhile, Pro Kannada organisations have continued their protest demanding to stop water from being released to Tamil Nadu ahead of the Supreme Court verdict on September 21. The protestors held a rolling protest at Sanjay Circle in Mandya.
The protestors were demanding to stop the Cauvery water release to Tamil Nadu after the Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) passed an interim order asking Karnataka to release 5,000 cusecs of water to Tamil Nadu daily for the next 15 days.

Muzaffarnagar Student Slap Case: Supreme Court Seeks Status Report on Investigation, Issues Notice to Uttar Pradesh Government

https://www.latestly.com/india/news/muzaffarnagar-student-slap-case-supreme-court-seeks-status-report-on-investigation-issues-notice-to-uttar-pradesh-government-5391931.html

The top court also issued notice to the Uttar Pradesh government and sought its reply by September 25. The apex court was hearing a PIL filed by Tushar Gandhi, the great-grandson of Mahatma Gandhi, seeking speedy investigation in the student slapping case.

New Delhi, September 6: The Supreme Court on Wednesday directed the Muzaffarnagar Superintendent of Police to submit a status report on the investigation in the case of a student being allegedly slapped by his classmates on the instructions of his teacher. A bench of Justices Abhay S Oka and Pankaj Mithal asked the SP to inform it about measures taken to protect the student and his parents.The top court also issued notice to the Uttar Pradesh government and sought its reply by September 25. The apex court was hearing a PIL filed by Tushar Gandhi, the great-grandson of Mahatma Gandhi, seeking speedy investigation in the student slapping case. Muzaffarnagar Slap Video Case: NHRC Issues Notice to Uttar Pradesh Government Over Alleged Beating of Muslim Student by His Classmates at Behest of Teacher.

The Muzaffarnagar Police had booked the teacher accused of making communal comments and ordering her students to slap a Muslim classmate for not doing his homework. The school was also served a notice by the state education department in connection with the matter. Muzaffarnagar Slap Row: Muslim Student Likely to Be Admitted to Government Primary School.The teacher, Tripta Tyagi, was booked a day after a video showed her asking her students to slap the Class 2 boy in Khubbapur village and also making a communal remark.

South Asian Activists Object to India Hosting Conference of National Human Rights Institutions

https://thewire.in/rights/south-asian-activists-object-to-india-hosting-conference-of-national-human-rights-institutions

This objection stems from the National Human Rights Commission of India failing to fulfill its mandated duties, according to the South Asians for Human Rights, a democratic regional body.

New Delhi: A South Asian group of human rights activists has objected to the Asia Pacific Forum of regional national human rights institutions holding its next meeting in India due to the failure of NHRC to meet its mandated duties.

In a statement, Colombo-based South Asians for Human Rights (SAHR), a democratic regional body, said that it was "outraged to learn that the Asia Pacific Forum has allowed the National Human Rights Commission of India (NHRC) to host its next conference in New Delhi on 20 and 21 September, 2023". The group added that the Asia Pacific Forum has announced that Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the conference.

"On behalf of the civil society members of the South Asian region committed to the promotion and protection of human rights at the national and regional level, SAHR perceives that this decision of the Asia Pacific Forum will defeat the purpose as well as the past and future achievements it has so far been working for," it said.

The South Asian group pointed out that India's NHRC has still been accredited with an 'A' grade status till now.

However, it highlighted that the sub-committee on accreditation (SCA) of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) had recommended in March this year that further consideration on its accreditation will be deferred for 12 months.

While giving its recommendation, the sub-committee had objected to the legislation governing the NHRC that allowed for police officers to be involved in investigation of cases. This objection to provisions of the Protection of Human Rights Act of 1993 had been raised as far back as 2017, but was not changed.

"The SCA reiterates that a fundamental requirement of the Paris Principles is that an NHRI is, and is perceived to be, able to operate independent of government interference. Where an NHRI's members are seconded from the public service, and in particular where this includes those at the highest level in the NHRI, it raises questions about its capacity to fully function independently," the SCA report had said in March.

Besides, the report had also raised questions about the plurality of the membership, selection and appointment of members, appointment of secretary general and cooperation with other human rights bodies.

The SCA had also pointed out that the NHRC "did not provide sufficient information with regards to how it implements its full mandate to monitor, promote, and protect the rights of everyone including religious minorities and HRDs".

Similarly, the SAHR statement alleged that the NHRC had "failed to do mandated duties as an independent institution adhered to the Paris Principles".

It pointed out that NHRC had been a "mute spectator" to the violence in Manipur with only a "limited response" made after observations from the Chief Justice.

Furthermore, SAHR raised concerns over the Asia Pacific Forum's decision to hold the conference in India, saying the decision could lead to other National Human Rights Institutions becoming equally politicised. It also asked the regional body to "reconsider this decision of allowing the NHRC to host this event, which is significant to upholding human rights in the regions of Asia and the Pacific".

PIONEER, Lucknow, 7.9.2023
Page No. 3, Size:(6.76)cms X (12.92)cms.

SC notice to UP govt in 'student slapping' incident

Lucknow (PNS): After the National Human Rights Commission (NHRC), now the Supreme Court has issued a notice to the Uttar Pradesh government in the 'student slapping' incident and asked it to respond by September 25.

The incident took place in Muzaffarnagar. A schoolteacher was accused of making communal comments and ordering her students to slap their Muslim classmate for not doing his homework. The school was served a notice by the Education department in connection with the incident.

The teacher, Tripta Tyagi, was booked on the complaint of the boy's family under Indian Penal Code sections 323 (punishment for voluntarily causing hurt) and 504 (intentional insult with intent to provoke breach of the peace), both non-cognisable offences.

Such offences are bailable and do not lead to immediate arrest, and require a warrant.

The action was taken a day after a video showed the teacher asking her students to slap the Class 2 boy at Neha Public School in Khubbapur village and also making a communal remark. The video elicited strong reaction from several political leaders with the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), the apex child rights body, demanding action against the accused teacher.

JAGRAN, Online, 7.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Muzaffarnagar School Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड, तुषार गांधी ने दायर की याचिका

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/muzaffarnagar-muzaffarnagar-school-case-muzaffarnagar-slap-case-reaches-supreme-court-tushar-gandhi-files-petition-23523476.html

खुब्बापुर गांव में छात्र को थप्पड़ मारने का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपोत्र एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने मामले में उचित जांच कराने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। खुब्बापुर गांव में छात्र को थप्पड़ मारने का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपोत्र एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने मामले में उचित जांच कराने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

बता दें कि 22 अगस्त को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जो मंसूरपुर थानाक्षेत्र में स्थित खुब्बापुर गांव स्थित नेहा पब्लिक स्कूल का था। उसमें शिक्षिका तृप्ता त्यागी एक छात्र को अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवा रहीं थी। पास बैठा पीड़ित छात्र का चाचा वीडियो बना रहा था। वीडियो प्रसारित होने के बाद राजनीति गरमा गई थी। शिक्षिका तृप्ता त्यागी के विरुद्ध पुलिस ने एनसीआर दर्ज की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अब यह प्रकरण फिर से गरमा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गंधी के प्रपौत्र एवं एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने तृप्ता त्यागी पर मुकदमा दर्ज कराने और उचित जांच की मांग की है। साथ ही पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की मांग की है।

बताया गया है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्थल की पीठ ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि इसी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी संज्ञान ले चुका है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की जानकारी है। हमें जवाब भेजना है, जो निर्धारित समय पर भेज दिया जाएगा।

-संजीव सुमन, एसएसपी।

छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में SC का यूपी सरकार को नोटिस, 25 सितंबर तक मांगा जवाब

https://www.dnaindia.com/hindi/india/news-supreme-court-sends-notice-to-up-government-for-slapping-student-in-muzaffarnagar-4100528

Muzaffarnagar News: स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था.

डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी कर मुजफ्फरनगर की उस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें शिक्षिका के निर्देश पर एक छात्र को उसके सहपाठियों ने कथित थप्पड़ मारे थे. इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले में संज्ञान लिया था.

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने एसपी से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को भी कहा है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया और 25 सितंबर तक उसका जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शीघ्र जांच का अनुरोध किया गया था.

मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और गृहकार्य नहीं करने पर छात्रों को अपने एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने की आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामले के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी भेजा था.

टीचर का वीडियो हुआ था वायरल

स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था. वीडियो में टीचर खुब्बापुर गांव के स्कूल में छात्रों से दूसरी कक्षा के मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहते और सांप्रदायिक टिप्पणी करते नजर आ रही थीं.

मुजफ्फरनगर कांड मामले में 25 सितंबर को होगी सुनवाई:SC ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, कोर्ट ने SP से मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/news/muzaffarnagar-case-reaches-supreme-court-after-viral-video-131797648.html

मुजफ्फरनगर में स्कूल के बच्चे की पिटाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसपी से मामले में रिपोर्ट मांगा है।

कोर्ट ने कहा है कि मामले में अब तक आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बच्चे के परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविस्ट तुषार गांधी ने वायरल वीडियो का हवाला देते हुए पुलिस को FIR दर्ज कर जांच का निर्देश देने की मांग की है।

तुषार गांधी ने इस कांड को लेकर वकील शादान फरासत के जरिए याचिका दायर की है। दरअसल, इस मामले के बाद मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव के निजी स्कूल को सील कर दिया गया है।

NHRC ने भी लिया संज्ञान
हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इसका स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में NHRC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। NHRC द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और NHRC ने भारत में मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि एक निजी स्कूल के शिक्षक ने अपने एक छात्र की आस्था का बेतुके तरीके से जिक्र करते हुए उसके सहपाठियों को पीटने का आदेश दिया। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खुब्बापुर गांव में स्थित है।"

एनएचआरसी द्वारा जारी नोटिस में शिक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई, मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति और पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे की जानकारी मांगी गई थी। NHRC के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा, "उक्त मामले में कलेक्टर व SSP मुजफ्फरनगर को पृथक पृथक नोटिस जारी किए गये हैं।"

बच्चे का वीडियो शेयर न करें
प्रियंक कानूनगो ने कहा था, "दोनों अधिकारियों को अलग-अलग जांच करने व शिक्षक के विरुद्ध FIR दर्ज कर पीड़ित बालक व अन्य बच्चों को CWC के समक्ष प्रस्तुत करने तथा काउंसलिंग करवाए जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी से निवेदन है कि बच्चे का वीडियो शेयर न करें। इस तरह की घटना की जानकारी ईमेल द्वारा दें, बच्चों की पहचान उजागर कर अपराध के भागी न बनें।"

TIMES OF INDIA, Ahmedabad, 7.9.2023
Page No. 5, Size:(6.81)cms X (13.90)cms.

Live-in partner accused of rape by 21-year-old

Times News Network

WOMEN UNDER ATTACK

Surat: The Kapodra police filed a rape complaint against a Rajkot man based on allegations by a 21-year-old woman from Surat. The rape survivor had entered in to a three months' live-in agreement with Vinchhiya taluka resident Rahulgiri Goswami (23) who promised to marry her.

However, when the woman got pregnant, Goswami refused to marry her and the woman approached the police.

According to police, accused and the woman's family were in talks for their engagement under the 'Sata custom' six months ago. As per traditional custom, brother-sister of one family get engaged to another set of siblings from the other family. However, in this case the talks for engagement could not materialize. However, they had exchanged their phone numbers during the talks of their families and kept contact.

After the talks failed, accused reportedly lured the woman promising to marry her in the future and planned for the live-in. Trusting him, the woman agreed to the maitri karar for three months and started living at his home in Rajkot district. During this period, the woman got pregnant and therefore, she asked the accused to marry her.

However, Goswami not only allegedly refused to marry her but also forced her to leave his home in Rajkot.

Investigation officer told TOI: "She cancelled the live-in agreement in Rajkot and came back to Surat. After coming to the city, she filed a complaint against Goswami for rape. We have booked him under IPC 376 and 376 (2)n for raping her under the lure of marriage."

छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/local/student-slapping-case-supreme-court-seeks-status-report-of-investigation-from-up-police-2783574

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस से एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसने कथित तौर पर एक बेतुके विश्वास का जिक्र करते हुए साथी छात्रों से 7 वर्षीय लड़के को थप्पड़ मारने का आग्रह किया था। ढंग।न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें घटना की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच और दिशानिर्देश तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। स्कूलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्रों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए।

पीठ ने मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को 25 सितंबर तक छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को भी कहा।24 अगस्त को, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक निजी स्कूल के शिक्षक के आदेश पर साथी छात्रों को 7 वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारते देखा गया, जिसने अपने विश्वास को बेतुके तरीके से संदर्भित किया था।कथित तौर पर, लड़के के परिवार ने कहा है कि कक्षा के दौरान पहाड़े के गुणन में गलती के लिए उसे पीटा गया था। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खुब्बापुर गांव में स्थित है।

नेहा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका ने अपने कृत्य को उचित ठहराते हुए कहा था कि स्कूल में बच्चों को "नियंत्रित" करना महत्वपूर्ण है।आरोपी तृप्ति त्यागी, जो स्कूल की मालिक भी हैं, को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लड़के के परिवार ने पहले ही उसे स्कूल से निकाल दिया है और एक नए स्कूल की तलाश कर रहे हैं।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पहले ही मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। यह देखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 7.9.2023
Page No. 20, Size:(9.45)cms X (14.58)cms.

NHRC sends notice to over beating a pregnant woman

NHRC has taken suo moto cognisance of a media report that a pregnant woman was allegedly beaten up and paraded naked in the village by her family members in Pratapgarh district of Rajasthan. Reportedly, a video of the incident also went viral on social media. The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of the violation of human rights of the victim. Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the DG of Police, Rajasthan, calling for a detailed report on the matter.

नौकरी और 25-25 लाख की सहयोग राशि देगा क्यूआरजी हास्पीटल

https://cnewsbharat.com/hindi/news/noida-90995

नोएडा : फरीदाबाद सेक्टर 16 के क्यू आर जी अस्पताल में सीवर की सफाई करते समय चार सफाई कर्मियों की मौत हो गई थी। उसी संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह चार मृतक सीवरमैंनो के आश्रितों को नौकरी तथा भरण पोषण के लिए सहायता राशि मुहैया कराई जाए।आयोग ने इस मामले में सीवरमैंनो के पीड़ित परिवारों की तरफ से पैरवी करने वाले कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को भेजी आदेश की प्रति मुहैया कराई है।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद सेक्टर-16 के क्यूआरजी हास्पीटल में पांच अक्टूबर 2022 को सीवर की सफाई करते समय चार सीवरमैंनो की मौत के मामले में मृतक परिवार के एक_एक सदस्य को नौकरी व 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को इस आदेश की प्रति भेजी है जिसमें आदेश का अनुपालन करने के लिए मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त को निर्देशित किया गया है। तीन जुलाई 2023 को फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस उपायुक्त कार्यालय से दी गई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह फैसला दिया है। रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई की बाबत जानकारी थी जबकि मृतकों के पीड़ित परिजनों को वित्तीय सहायता की बाबत इसमें कोई जिक्र नहीं था। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पीड़ित परिजनों की ओर से पैरवी की। श्री शर्मा का कहना है कि सीवर की सफाई मशीनों से ही होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को न सिर्फ सरकारी संस्थान बल्कि निजी संस्थानों के लिए भी अनिवार्यता के आदेश जारी करने चाहिए।

RAFTAAR, Online, 7.9.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

गर्भवती महिला से बदसलूकी मामले में NHRC ने गहलोत सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

https://raftaar.in/news/local-news/rajasthan/nhrc-seeks-reply-from-gehlot-government-in-four-weeks-in-case-of-misbehavior-with-pregnant-woman

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है।

जयपुर, हि.स.। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस विभाग को नोटिस भेजा है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा है।

निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया

सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कहा था कि प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में 21 वर्षीय एक आदिवासी महिला को उसके पति द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। आयोग ने कहा है कि अगर मीडिया में प्रकाशित खबर सही पाई जाती है, तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे को उठाती है।

चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी

एनएचआरसी ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह महिला की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ इस बारे में भी जानना चाहता है कि प्रशासन ने उसे किसी प्रकार का मुआवजा दिया है या नहीं।

Muzaffarnagar Slap Incident In School : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर स्कूल में थप्पड़ कांड पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

https://www.etvbharat.com/hindi/delhi/bharat/supreme-court-seeks-uttar-pradesh-govt-response-on-muzaffarnagar-slap-incident-in-school/na20230906151700940940468

यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है. कोर्ट ने उक्त आदेश महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर दिए.नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मुजफ्फरनगर जिले के एक निजी स्कूल में मुस्लिम नाबालिग छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी और मामले में जांच की स्थिति भी बताने के लिए कहा है.यह याचिका महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने दायर की है. गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की. याचिका में बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन सभी प्रावधानों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने सहित समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश देने की मांग की गई है. घटना के वायरल वीडियो में कथित तौर पर कक्षा के एक शिक्षक को अन्य छात्रों को एक मुस्लिम साथी छात्र को थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया है जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है.वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्तमान याचिका राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर थी जो एक सभ्य और बहुलवादी समाज की जड़ तक जाती है यानी स्कूल-प्रणालियों सहित देश में विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्यों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना. स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था. वीडियो में शिक्षिका खुब्बापुर गांव के स्कूल में छात्रों से दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहते और सांप्रदायिक टिप्पणी करते नजर आ रही थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम सहपाठी को पीटने के लिए कहने वाली शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

https://hindi.barandbench.com/news/supreme-court-uttar-pradesh-government-response-plea-arrest-teacher-students-slap-muslim-classmate

महात्मा गांधी के परपोते द्वारा दायर याचिका में धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए उपचारात्मक और निवारक कदम उठाने का भी आह्वान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के उस स्कूल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिस पर आरोप है कि उसने छात्रों को सजा के तौर पर एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था। [तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को भी 25 सितंबर तक वापसी योग्य नोटिस जारी किया।

जिला पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच में अब तक उठाए गए कदमों के साथ-साथ पीड़ित बच्चे की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

पीठ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में मामले की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के साथ-साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए स्कूलों द्वारा उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

जिले के खुब्बापुर गांव में जिस निजी स्कूल की बात हो रही है, उसे सील कर दिया गया है। विवाद के केंद्र में शिक्षिका तृप्ता त्यागी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लड़के की आस्था का जिक्र किया था और मुस्लिम बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं, जबकि उसके सहपाठियों से उसे जोर से पीटने को कहा था।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस से उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने को कहा।

बाल अधिकार निकाय ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से भी जवाब मांगा था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और उत्तर प्रदेश राज्य और राज्य के पुलिस महानिदेशक से प्रतिक्रिया मांगी थी।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, त्यागी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालाँकि, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस बीच, त्यागी ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि भले ही उन्होंने गलती की हो, लेकिन इस घटना में कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है।